क्रम-संख्या—351

रजिस्टर्ड नं० ए० डा०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 1 मई, 1984

वैशाख 11, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 943/सत्रह-वि0-1-1 (क)-11-1984

लखनऊ, 1 मई, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:---

"(घ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या, यथास्थिति, विधान परिषद् के सभापति द्वारा या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलायी गयी या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लिये :

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये दो से अधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा ।"

धारा 15 का संशोधन

4---मूल अधिनियम की धारा 15 में,---

(क) शब्द "चालीस रुपये" के स्थान पर शब्द "साठ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्---

"(पांच-क) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर, यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेन्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा ।

(पांच-ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमीनार या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा ।"

धारा 23 का संशोधन

5---मूल अधिनियम की धारा 23 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्---

"(क) पद 'सभा' या 'परिषद्' के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है---

(एक) जिसने इस रूप में इंडियन इंडिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया; या

(दो) जिसने "भारत का संविधान" के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया ।"

धारा 24 का संशोधन

6---मूल अधिनियम की धारा 24 में,---

(क) शब्द "तीन सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) परन्तुक में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 24-क का बढ़ाया जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

कतिपय व्यक्तियों को देय पेंशन की शर्तें

"24-क--जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां, यथास्थिति, ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायगी ।"

धारा 25 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(क) खण्ड (क) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ; और

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 26 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्दे " पांच सौ रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 943(2)/XVII-V—1-1(Ka)-11-1984

Dated Lucknow, May 11, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyaon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 29, 1984.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1984

(U.P. Act No. 13 of 1984)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1984.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 23 of 1980.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act *for* the words "one thousand rupees" the words "one thousand two hundred and fifty rupees" shall be *substituted.*

Amendment o section 14.

3. In section 14 of the principal Act *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted* namely :—

"(*d*) for journey for attendance in any meeting called by or under the authority of the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha or the Speaker of the Legislative Assembly or as the case may be the Chairman of the Legislative Council of any other State or by the Indian Institute of Parliamentary Studies or organised otherwise in connection with constitutional studies or any seminar or study course :

Provided that such member is nominated to attend such meeting by th Speaker as defined in clause (*n*) of section 2 or the Chairman as defined in clause (*b*) of the said section:

Provided further that not more than two members shall be nominated for attendance in any such meeting and no such nomination shall be made for more than twice in a year."

Amendment of section 15.

4. In section 15 of the principal Act,—

(*a*) *for* the words "forty rupees" the words "sixty rupees" shall be *substituted*;

(*b*) *after* clause (v), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(v-a) the allowance shall also be payable to a member for his visits to Lucknow as Chairman of any committee in connection with the work of such committee, other than the meeting of such committee, in case no such allowance is otherwise payable to him under any other provision of this section provided that no such allowance shall be payable for more than two visits in a calendar month and for more than two days per such visit ;

(v-b) the allowance shall also be payable for attendance in any meeting, seminar or study course referred to in clause (*d*) of section 14;"

Amendment of section 23.

5. In section 23 of the principal Act, *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

"(*a*) the expression 'Assembly' or 'Council' shall include the United Provinces Legislative Assembly or the United Provinces Legislative Council respectively :—

(i) which was constituted and functioned as such under the Government of India Act, 1935, either before or after the commencement of the Indian Independence Act, 1947 ; or

(ii) which functioned as a House of the provisional Legislature for the State under the Constitution of India."

Amendment of section 24.

6. In section 24 of the principal Act,—

(*a*) *for* the words "three hundred rupees" the words "five hundred rupees" shall be *substituted* ; and

(*b*) in the proviso *for* the words "five hundred rupees" the word "seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

Insertion of section 24-A.

7. *After* section 24 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"24-A. Where a person becomes entitled to pension or additional pension under this Act on the ground that he has served as a member of the Assembly or Council, constituted or in existence before January 1, 1946 such pension or additional pension, as the case may be, shall be deemed to be admissible to such person with effect from January 1, 1977."

Conditions of pension payable to certain persons.

Amendment of section 25.

8. In section 25 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*a*), *for* the words "five hundred rupees" the words "seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in clause (*b*), *for* the words "five hundred rupees" the words "seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ; and

(*c*) in clause (*c*) *for* the words "five hundred rupees" the words "seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 26.

9. In section 26 of the principal Act, *for* the words "five hundred rupees" wherever occurring, the words "seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

By order,

G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 31 सा० (विधा०)—(463)—1984—850 (मेक०)।